

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी**  
**(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)**

**पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :- 02/2019 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री एस.एस.राणावत निवासी हनुमान बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति०  
कॉलोनी, शास्त्री नगर भीलवाडा जिला कलक्टर (प्रशा.) जिला  
भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005**

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित  
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

**निर्णय**

दिनांक : 27.02.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 27.12.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं० 41 एफ 425225 राशि 10.00 रू० के साथ एक आवेदन दिनांक 25.11.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.11.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 22.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के पत्रांक दिनांक 11.02.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 25.11.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में बिन्दु सं. 01, 02, 05 से 07, 08 की सूचना आचार संहिता प्रकोष्ठ से पत्रांक/आ.स. प्र/2019/30243 दिनांक 11.02.2019 को एवं बिन्दू सं. 3, 4, व 09 की सूचना राजस्व अनुभाग के पत्रांक/एफ 40-35 (6) आरए/2018 दिनांक 26.12.2018 जो अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.02.2019 को कार्यालय में उपस्थित होकर हमदस्त निःशुल्क प्राप्त कर आवेदन पत्र पर बिन्दु सं. 01 से 09 तक की सूचना प्राप्त कर पावती अंकित की गयी है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



**(राजेन्द्र भट्ट)**  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलट अधिकारी  
भीलवाडा